

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण)

पत्रांक: — ब्लाडा (लेखा) 02/03/2022

58
आदेश

/पटना, दिनांक 24 फरवरी, 2025

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-02, दानापुर का पत्रांक 4368 दिनांक 19.12.2024 एवं जिला योजना पदाधिकारी, पटना का पत्रांक 105 दिनांक 10.01.2025 के आलोक में उक्त कार्य प्रमंडल को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय बिहार विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसा पर स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुमान्यता राशि के अधीन निम्न प्रकार से राशि आवंटित किया जाता है:-

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	वर्तमान में कुल आदेयता/ दायित्व की राशि		पूर्व में विमुक्त राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतिशत्	अधियाचित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि
1	2		3	4	5	6	7
2021—22	MLA	600.00	1567.826	1472.36571	93.91	78.5565	59.967
	MLC	1027.793					
	Total	1627.793					
2022—23	MLA	1800.00	4605.133	4364.59318	94.77	56.301	26.91
	MLC	2832.043					
	Total	4632.043					
2023—24	MLA	2400.00	5243.98673	4756.52964	90.70	532.34727	518.94327
	MLC	3362.93					
	Total	5762.93					
2024—25	MLA	2400.00	2400.00	2135.12292	88.96	1481.7422	1481.7422
	MLC	2785.845					
	Total	5185.845					
कुल							2087.56247

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अबतक आवंटित कुल राशि ₹1627.79300 लाख रुपये की राशि को मदवार सामान्य मद-₹1351.06819 लाख रुपये, एस0सी0 मद-₹260.44688 लाख रुपये तथा एस0टी0 मद-₹16.27793 लाख रुपये माना जाय।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अबतक आवंटित कुल राशि ₹4632.04300 लाख रुपये की राशि को मदवार सामान्य मद-₹3844.59569 लाख रुपये, एस0सी0 मद-₹741.12688 लाख रुपये तथा एस0टी0 मद-₹46.32043 लाख रुपये माना जाय।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अबतक आवंटित कुल राशि ₹5762.93000 लाख रुपये की राशि को मदवार सामान्य मद-₹4840.86120 लाख रुपये, एस0सी0 मद-₹922.06880 लाख रुपये माना जाय।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अबतक आवंटित कुल राशि ₹3881.74220 लाख रुपये की राशि को मदवार सामान्य मद-₹3260.66345 लाख रुपये, एस0सी0 मद-₹621.07875 लाख रुपये माना जाय।

उपर्युक्त विवरणी के स्तभ-7 में अंकित राशि यथा 2021-22, 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 के लिए कुल राशि ₹2087.56247 लाख (बीस करोड़ सतासी लाख छप्पन हजार दो सौ सैंतालीस रुपये) मात्र कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-02, दानापुर को CFMS के माध्यम से राशि अंतरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शर्त:-

- (1) वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 के लिए आवंटित की जा रही राशि का वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं पर ही व्यय करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में इस राशि का व्यय किसी अन्य वर्ष की स्वीकृत योजनाओं पर नहीं किया जायेगा।
- (2) वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी जा रही राशि को इस मद अंतर्गत किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत योजनाओं पर व्यय किया जा सकता है। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा व्यय की जा रही राशि को संबंधित वर्ष के लिए राशि प्राप्त/उपलब्ध होने के पश्चात् उक्त वित्तीय वर्ष के लेखा में समायोजन करना सुनिश्चित किया जायेगा। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (3) आवंटित राशि के विचलन की स्थिति में संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
- (4) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत वर्ष 2011-12 से 2024-25 तक आवंटित राशि का वर्षवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र **BTC Form 27C** एवं **27C1** में तैयार कर बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (ब्लाडा) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (5) उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि वित्तीय वर्ष के लिए वांछित राशि (यथा आवंटित राशि का **60%** राशि) से कम होने की स्थिति में उक्त वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान्यता की अवशेष राशि विमुक्त नहीं किया जायेगा।
- (6) इस आवंटित राशि का व्यय प्रासंगिक वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए किया जायेगा।

ह0/-

(रणजीत कुमार)

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी,

ज्ञापांक:- ब्लाडा (लेखा) 02/03/2022

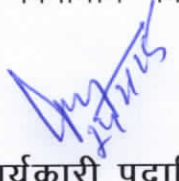
58

/पटना, दिनांक 24 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप निदेशक, (प्रभारी MKVY), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।
6. अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।
7. जिला योजना पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।
8. लेखा शाखा, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण को CFMS के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-02, दानापुर को राशि ₹2087.56247 लाख (बीस करोड़ सतासी लाख छप्पन हजार दो सौ सैंतालीस रुपये) मात्र Fund Transfer करने हेतु प्रेषित।

9. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-02, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त राशि GEN, SC एवं ST मद के अनुसार ही राशि CFMS के माध्यम से खर्च करना सुनिश्चित करे।
10. श्री सुदामा कुमार, आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी